



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खंडपीठ (जबलपुर) ग्वालियर

रा.अ.कं.

निग 12755/J/15

संस्थित दिनांक-28.07.2015

रवि कुमार पिता श्री घनश्याम प्रसाद
उर्फ मटरू चकवर्ती उम्र 25 वर्ष लगभग

निवासी ग्राम पौड़ी थाना महाराजपुर

तह. व जिला मंडला म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

शेख रफीक पिता बाबू सलाम जाति मुसलमान

उम्र 39 वर्ष निवासी स्वामी सीताराम वार्ड मंडला

थाना तह. व जिला मंडला म.प्र.

उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है-

पुनरीक्षणाधीन आदेश-

तहसीलदार महोदय मंडला की न्यायालय में प्रस्तुत सीमांकन हेतु आवेदन पत्र जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 19 (अ-12) 2013-14 आवेदक शेख रफीक में पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 के विरुद्ध ।

परिसीमा-

न्यायालय तहसीलदार महोदय मंडला द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 को सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया, उक्त आदेश की जानकारी होने पर अविलंब उसी दिनांक 13.07.2015 को आदेश एवं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.07.2015 को दस्तावेज एवं आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने से विहित समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य-

यह कि, तहसीलदार महोदय मंडला को उत्तरवादी/आवेदक शेख रफीक के द्वारा दिनांक 06.01.2014 को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवेदन की अंतर्वस्तु यह है कि, उत्तरवादी शेख रफीक

[Handwritten signature]

श्री एम. रफ. दोबरे
28.7.15
28.7.15
28.7.15

28.7.15

28.7.15

शिवमंगल / अश्वमेधी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R2759-I/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-15	<p>हमारे पास शिवमंगल की प्रमाण पत्र प्राप्त है उपरोक्त प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। दि. 23-9-15 ग्वालियर</p>	23-9-15 Mkes Date 23.9.15
23.9.15	<p>आदेशक को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। दि. 23-9-15 ग्वालियर</p>	